



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

19 श्रावण 1942 (श0)
(सं0 पटना 479) पटना, सोमवार, 10 अगस्त 2020

विधि विभाग

अधिसूचना

10 अगस्त 2020

सं० एल0जी0-01-15/2020/4370/लेजः।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 7 अगस्त 2020 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
पी0 सी0 चौधरी,
सरकार के सचिव।

[बिहार अधिनियम 09, 2020]**बिहार माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2020**

बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम-12, 2017) का संशोधन करने के लिए अधिनियम।
भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।—(1) यह अधिनियम बिहार माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2020 कहा जा सकेगा।

(2) इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय इस अधिनियम के उपबंध उस तारीख को प्रवृत्त होंगे, जो राज्य सरकार राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा नियत करे।

परंतु इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का अर्थान्वयन उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रतिनिर्देश के रूप में किया जाएगा।

2. धारा 2 का संशोधन।— बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे इसमें इसका पश्चात् “मूल अधिनियम” कहा गया है) की धारा 2 के खंड (114) में उपखंड (ग) और उपखंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखे जाएंगे, अर्थात् :-

“(ग) दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव;

(घ) लद्दाख;”।

3. धारा 10 का संशोधन।— मूल अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (2) के खंड (ख), खंड (ग) और खंड (घ) में, “माल” शब्द के पश्चात् “या सेवाओं” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

4. धारा 16 का संशोधन।— मूल अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (4) में, “से संबंधित बीजक” शब्दों का लोप किया जाएगा।

5. धारा 29 का संशोधन।— मूल अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) के खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(ग) कराधेय व्यक्ति, धारा 22 या धारा 24 के अधीन अब रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी नहीं रहा है या उसका धारा 25 की उपधारा (3) के अधीन स्वेच्छया रजिस्ट्रीकरण से बाहर निकलने का आशय रहा हो;”।

6. धारा 30 का संशोधन।— मूल अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (1) में, परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु ऐसी अवधि दर्शित किए गए पर्याप्त कारण के आधार पर और लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से,—

(क) यथास्थिति, अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त द्वारा तीस दिन से अनधिक की अवधि के लिए; और

(ख) आयुक्त द्वारा खंड (क) में विनिर्दिष्ट अवधि से परे तीस दिन से अनधिक की और अवधि के लिए,

बढ़ाई जा सकेगी।”।

7. धारा 31 का संशोधन।— मूल अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (2) में परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा,—

(क) ऐसी सेवाओं या पूर्तियों के प्रवर्ग विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिनके संबंध में ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, कर बीजक जारी किया जा सकेगा;

(ख) इसमें उल्लिखित ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, सेवाओं के ऐसे प्रवर्ग विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिनके संबंध में—

(i) पूर्ति के संबंध में जारी किसी अन्य दस्तावेज को कर बीजक समझा जाएगा; या

(ii) कर बीजक जारी नहीं किया जा सकेगा।”।

8. धारा 51 का संशोधन।— मूल अधिनियम की धारा 51 में,—

(क) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :-

“(3) श्रोत पर कर की कटौती का प्रमाणपत्र ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में जारी किया जाएगा, जो विहित की जाए।”।

(ख) उपधारा (4) का लोप किया जाएगा।

9. धारा 122 का संशोधन।— मूल अधिनियम की धारा 122 की उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

“(1क) कोई व्यक्ति, जो उपधारा (1) के खंड (i) या खंड (ii) या खंड (vii) या खंड (ix) के अन्तर्गत आने वाले संव्यवहार के फायदे का प्रतिधारण करता है और जिसके अनुरोध पर ऐसा संव्यवहार

किया जाता है, अपवंचित कर या उपभोग किए गए या संक्रांत इनपुट कर प्रत्यय के बराबर रकम की शास्ति का दायी होगा।”।

10. धारा 132 का संशोधन।— मूल अधिनियम की धारा 132 की उपधारा (1) में, —

(i) “जो निम्नलिखित में से किसी दंड को कारित करता है” शब्दों के स्थान पर, “जो कोई निम्नलिखित अपराधों में से किसी अपराध को करेगा या किसी अपराध को करवाएगा और उससे उद्भूत फायदों का प्रतिधारण करेगा” शब्द रखे जाएंगे;

(ii) खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(ग) खंड (ख) में निर्दिष्ट ऐसे बीजक या बिल का उपयोग करके इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग करता है या किसी बीजक या बिल के बिना कपट से इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग करता है;”;

(iii) उपखंड (ड.) में “कपट से इनपुट कर प्रत्यय की प्राप्ति या” शब्दों का लोप किया जाएगा।

11. धारा 140 का संशोधन।— मूल अधिनियम की धारा 140 में 1 जुलाई, 2017 से,—

(क) उपधारा (1) में, “विहित की जाने वाली रीति में” शब्दों के स्थान पर “ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए” शब्द रखे जाएंगे और रखे गए समझे जाएंगे;

(ख) उपधारा (2) में, “ऐसी विहित रीति में” शब्दों के स्थान पर “ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए” शब्द रखे जाएंगे और रखे गए समझे जाएंगे;

(ग) उपधारा (3) में, “नियत दिन” शब्दों के स्थान पर “नियत दिन पर, ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए,” शब्द रखे जाएंगे और रखे गए समझे जाएंगे;

(घ) उपधारा (5) में, “विद्यमान विधि के अधीन प्रदाता द्वारा” शब्दों के स्थान पर “विद्यमान विधि के अधीन ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, पूर्तिकार द्वारा” शब्द रखे जाएंगे और रखे गए समझे जाएंगे;

(ङ) उपधारा (6) में, “नियत दिन को” शब्दों के पश्चात् “ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे और अंतःस्थापित किए गए समझे जाएंगे;

12. धारा 172 का संशोधन।— मूल अधिनियम अधिनियम की धारा 172 की उपधारा (1) के परंतुक में, “तीन वर्षों” शब्दों के स्थान पर “पांच वर्षों” शब्द रखे जाएंगे।

13. अनुसूची 2 का संशोधन।— मूल अधिनियम की अनुसूची 2 की प्रविष्टि 4 में, “प्रतिफल हेतु या अन्यथा” दोनों स्थानों पर, जहां वे आते हैं, शब्दों का लोप किया जाएगा और 1 जुलाई, 2017 से लोप किया गया समझा जाएगा।

14. कतिपय मामलों में राज्य कर के उद्ग्रहण या संग्रहण से भूतलक्षी छूट।— बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार परिषद् की सिफारिशों पर जारी वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस0ओ0 65, तारीख 29 जून, 2017 में किसी बात के होते हुए भी, —

(i) 1 जुलाई, 2017 से आरंभ होने वाली और 30 सितंबर, 2019 को समाप्त होने वाली (दोनों दिन सम्मिलित) अवधि के दौरान (शीर्ष 2301 के अंतर्गत आने वाले) मत्स्य आहार के प्रदाय से संबंध में कोई राज्य कर उद्गृहीत या संगृहीत नहीं किया जाएगा;

(ii) 1 जुलाई, 2017 से आरंभ होने वाली और 31 दिसम्बर, 2018 को समाप्त होने वाली (दोनों दिन सम्मिलित) अवधि के दौरान (शीर्ष 8483 के अंतर्गत आने वाले) घिनी, पहिए और अन्य पुर्जों के संबंध में और (शीर्ष 8432, 8433 और 8436 के अंतर्गत आने वाले) कृषि संबंधी मशीनरी के पुर्जों के उपयोग के संबंध में छह प्रतिशत की दर पर राज्य कर उद्गृहीत या संगृहीत किया जाएगा।

(2) ऐसे सभी करों का कोई प्रतिदाय नहीं किया जाएगा, जिन्हें संगृहीत किया गया है किन्तु जो इस प्रकार संगृहीत नहीं किए गए होते, यदि उपधारा (1) सभी तात्विक समयों पर प्रवृत्त हुई होती।

15. निरसन एवं व्यावृत्ति।— (i) बिहार माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2020 (बिहार अध्यादेश संख्या—09, 2020) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(ii) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के द्वारा या के अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गई समझी जायेगी, मानों यह अधिनियम उस दिन प्रवृत्त था, जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गई थी।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
पी0 सी0 चौधरी,
सरकार के सचिव।

10 अगस्त 2020

सं० एल०जी०-०१-१५/२०२०/४३७१/लेज०।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 7 अगस्त 2020 को अनुमत बिहार माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2020 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
पी० सी० चौधरी,
सरकार के सचिव।

[Bihar Act 09, 2020]

**THE BIHAR GOODS AND SERVICES TAX (SECOND AMENDMENT)
ACT, 2020
AN
ACT**

to amend the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (Bihar Act 12 of 2017).

BE It enacted by the Legislature of the State of Bihar in the Seventy first year of the Republic of India as follows :-

1. Short title and commencement.-(1) This Act may be called the Bihar Goods and Services Tax (Second Amendment) Act, 2020.

(2) Save as otherwise provided in this Act, the provisions of this Act shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint:

Provided that different dates may be appointed for different provisions of this Act and any reference in any such provision to the commencement of this Act shall be construed as a reference to the coming into force of that provision.

2. Amendment of section 2.-In section 2 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (hereinafter referred to as the principal Act), in clause (114), for sub-clauses (c) and (d), the following sub-clauses shall be substituted, namely:—

“(c) Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu;
(d) Ladakh;”.

3. Amendment of section 10.-In section 10 of the principal Act, in sub-section (2), in clauses (b), (c) and (d), after the words “of goods”, the words “or services” shall be inserted.

4. Amendment of section 16.-In section 16 of the principal Act, in sub-section (4), the words “invoice relating to such” shall be omitted.

5. Amendment of section 29.-In section 29 of the principal Act, in sub-section (1), for clause (c), the following clause shall be substituted, namely:—

“(c) the taxable person is no longer liable to be registered under section 22 or section 24 or intends to opt out of the registration voluntarily made under sub-section (3) of section 25:”

6. Amendment of section 30.-In section 30 of the principal Act, in sub-section (1), for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—

“Provided that such period may, on sufficient cause being shown, and for reasons to be recorded in writing, be extended,—

(a) by the Additional Commissioner or the Joint Commissioner, as the case may be, for a period not exceeding thirty days;

(b) by the Commissioner, for a further period not exceeding thirty days, beyond the period specified in clause (a).”.

7. Amendment of section 31.-In section 31 of the principal Act, in sub-section (2), for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—

“Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, by

notification,—

(a) specify the categories of services or supplies in respect of which a tax invoice shall be issued, within such time and in such manner as may be prescribed;

(b) subject to the condition mentioned therein, specify the categories of services in respect of which—

(i) any other document issued in relation to the supply shall be deemed to be a tax invoice; or

(ii) tax invoice may not be issued.”.

8. Amendment of section 51.- In section 51 of the principal Act,—

(a) for sub-section (3), the following sub-section shall be substituted, namely:— “(3) A certificate of tax deduction at source shall be issued in such form

and in such manner as may be prescribed.”;

(b) sub-section (4) shall be omitted.

9. Amendment of section 122.- In section 122 of the principal Act, after sub-section (1), the following sub-section shall be inserted, namely:—

“(1A) Any person who retains the benefit of a transaction covered under clauses (i), (ii), (vii) or clause (ix) of sub-section (1) and at whose instance such transaction is conducted, shall be liable to a penalty of an amount equivalent to the tax evaded or input tax credit availed of or passed on.”.

10. Amendment of section 132.- In section 132 of the principal Act, in sub-section (1),—

(i) for the words “Whoever commits any of the following offences”, the words “Whoever commits, or causes to commit and retain the benefits arising out of, any of the following offences” shall be substituted;

(ii) for clause (c), the following clause shall be substituted, namely:—

“(c) avails input tax credit using the invoice or bill referred to in clause (b) or fraudulently avails input tax credit without any invoice or bill;”;

(iii) in clause (e), the words “, fraudulently avails input tax credit” shall be omitted.

11. Amendment of section 140.- In section 140 of the principal Act, with effect from the 1st day of July, 2017,—

(a) in sub-section (1), after the words “existing law”, the words “within such time and” shall be inserted and shall be deemed to have been inserted;

(b) in sub-section (2), after the words “appointed day”, the words “within such time and” shall be inserted and shall be deemed to have been inserted;

(c) in sub-section (3), for the words “goods held in stock on the appointed day subject to”, the words “goods held in stock on the appointed day, within such time and in such manner as may be prescribed, subject to” shall be substituted and shall be deemed to have been substituted;

(d) in sub-section (5), for the words “existing law”, the words “existing law, within such time and in such manner as may be prescribed” shall be substituted and shall be deemed to have been substituted;

(e) in sub-section (6), for the words “goods held in stock on the appointed day subject to”, the words “goods held in stock on the appointed day, within such time and in such manner as may be prescribed, subject to” shall be substituted and shall be deemed to have been substituted;

12. Amendment of section 172.- In section 172 of the principal Act, in sub-section (1), in the proviso, for the words “three years”, the words “five years” shall be substituted.

13. Amendment to Schedule II.- In Schedule II to the principal Act, in paragraph 4, the words “whether or not for a consideration,” at both the places where they occur, shall be

omitted and shall be deemed to have been omitted with effect from the 1st day of July, 2017.

14. Retrospective exemption from, or levy or collection of, State tax in certain cases.- (1) Notwithstanding anything contained in the notification of the Commercial Taxes Department notification number S.O. 65, dated the 29th June, 2017, issued by the State Government, on the recommendations of the Council, in exercise of the powers under sub-section (1) of section 9 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017,—

(i) no state tax shall be levied or collected in respect of supply of fishmeal (falling under heading 2301), during the period commencing from the 1st day of July, 2017 and ending with the 30th day of September, 2019 (both days inclusive);

(ii) state tax at the rate of six percent. shall be levied or collected in respect of supply of pulley, wheels and other parts (falling under heading 8483) and used as parts of agricultural machinery (falling under headings 8432, 8433 and 8436), during the period commencing from the 1st day of July, 2017 and ending with the 31st day of December, 2018 (both days inclusive).

(2) No refund shall be made of all such tax which has been collected, but which would not have been so collected, had sub-section (1) been in force at all material times.

15. Repeal and Savings- (i) Bihar Goods and Services Tax (Second Amendment) Ordinance, 2020 (Bihar Ordinance No.-09, 2020) is hereby repealed.

(ii) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken in exercise of any power conferred by or under the said ordinance shall be deemed to have been done or taken in exercise of the powers conferred by or under this Act as if this Act were in force on the day on which such thing was done or action taken.

By order of the Governor of Bihar,
P. C. CHOUDHARY,
Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 479-571+400-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>